न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डीओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 03/2023 प्रार्थना पत्र

प्रेमसिंह वगै. बनाम पोखर वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
	अधिवक्ता पेश हुई । अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित है । अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि प्रकरण संख्या 62/2014 वाद अनवान् प्रेमसिंह वगै.बनाम पोखर वगै. राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियाान–2018 केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र तलादरी पर दिनांक 10.05.2018को अदम पैरवी अदम हाजरी मे निर्णित हुआ है । अधिवक्ता व प्रार्थीगण केम्प मे उपस्थित थे परन्तु हस्ताक्षर नही करवाये गये थे जिससे अदम पैरवी मे खारिज़ हुआ है । अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि प्रकरण मे वक्त सुनवाई प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता केम्प कोर्ट मे कोई उपस्थित नही हुए यदि उपस्थित होते तो उपस्थिति दर्ज होती । परन्तु प्रार्थीगण न्याय से वंचित नही हो इस हेतु न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है व प्रकरण संख्या 62/2014 वाद अनवान् प्रेमसिंह वगै.बनाम पोखर वगै. निर्णय दिनांक 10.05.2018 को पुनः नंबर पर लिंये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।	